नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। प्रचालन सम्बन्धी मामलों, जैसे जारी करने के मानदण्ड, राशन कार्डों को रद्द करना एवं उनका पुनर्वैधीकरण के बारे में निर्णय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में अपनाए गए मानदण्ड और कार्यविधियां अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1988 में अनुदेश जारी किए गए थे कि उन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड जो उचित दर दुकानों से लगातार दो महीने तक राशन नहीं लेते, रद्द कर दिए जाएंगे। इस अनुदेश का कारण यह बताया गया था कि इससे उन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड समाप्त हो सकेंगे जिन्हें राशन की आवश्यकता नहीं है या जो वह क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि जब कभी भी ऐसे राशन कार्ड धारी सम्बधित मंडल अधिकारी को नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो इन राशन कार्डों का आवासीय पते के सत्यापन के बाद नवीकरण कर दिया जाता है।

सुपर बाजार की शाखाओं का नवीकरण किया जाना

6218. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 में सुपर बाजार की किन-किन शाखाओं का नवीकरण किया गया है ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि में सुपर बाजार द्वारा इन शाखाओं के नवीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त नवीकरण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ङ) क्या सुपर बाजार के महाप्रबंधक ने कुछ विभागों का निजीकरण करने के लिए आदेश जारी किये हैं, और

(च) यदि हां, तो इन विभागों का निजीकरण करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण दिया गया है, (नीचे देखिए) जिसमें वर्ष 1993 के दौरान सुपर बाजार की शाखाओं के नाम नवीकरण की तारीख प्रत्येक शाखा पर व्यय की गई राशि दी गई है।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वर्ष 1991–1992 तथा 1993 के दौरान नवीकरण पर निम्नांकित राशि व्यय की गई है :–

वर्ष	व्यय की गई राशि
1991	1,51,037 रु०
1992	5,04,053 रु०
1993	8,62,782 रु०

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दी कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, सुपर बाजार

क्रम सं०	शाखा का नाम	नवीकरण की तारीख	व्यय की गई राशि
1.	दीन दयाल अस्पताल	जून, 1993	रु० 30,000.00
2.	भविष्य निधि	फरवरी, 1993	रु० 20,690.00
3.	एन०सी०ई०आर०टी०	फरवरी, 1993	रु० 53,216.00
4.	शादीपुर	मार्च, 1993	रु० 18,483.00
5.	ए.आई.आई.एम.एस.	मार्च, 1993	रु०1,10,000.00
6.	बी–1 जनकपुरी	मई, 1993	रु० 42,000.00
7.	दक्षिणपुरी	मई, 1993	रु० 53,918.00
8.	आई.एन.ए.	सितम्बर, 1993	रु० 78,529.00
9.	जामिया मिलिया	सितम्बर, 1993	रु० 13,667.00
10.	एम एम टी सी	सितम्बर, 1993	रु० 68,000.00
11.	ईस्ट आफ कैलाश, "सी" ब्लाक	नवम्बर, 1993	रु० 78,000.00
12.	यशवन्त प्लेस	दिसम्बर, 1993	रु० 1,12,000.00
13.	आर. पी. मार्किट पीतमपुरा	दिसम्बर, 1993	रु० 30,987.00
14.	एलएनजेपी औषध यूनिट	दिसम्बर, 1993	रु० 95,000.00
15.	नौयडा औषध यूनिट	दिसम्बर, 1993	रु० 38,292.00

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय में सुपर बाजार के लंबित मामले

6219. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय में सुपर बाजार के कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में दंड दिया गया है ; और

(ग) सुपर बाजार के लंबित मामलों के निपटानार्थ उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के सुलह अधिकारी के समक्ष औद्योगिक विवादों के सात मामले अनिर्णीत पड़े हैं जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया हैं। **(नीचे देखिये)**